विज्ञप्ति।

जनपद बागेश्वर में दिनांक–29.11.2018 को श्री नारायण सिंह पुत्र श्री हरीश चन्द्र सिंह गढिया, निवासी ग्राम गडेरा, तहसील कपकोट जिला बागेश्वर की बारात जो श्री मोहन सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह निवासी ग्राम बास्ती तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर की पुत्री के साथ विवाह हेतु उनके घर आयी हुयी थी। उक्त विवाह समारोह के दौरान भोजन करने उपरान्त फूड प्वाईजनिंग होने से, बरातियों/घरातियों का स्वास्थ्य खराब होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट बागेश्वर द्वारा कार्यालय आदेश संख्या–431/बीस–/जे0ए0–जॉ0स0ग0/2018–19 दिनांक–01.12.2018 से मजिस्ट्रीयल जॉच हेतु अधोहस्ताक्षरी को अध्यक्ष नामित किया गया है। तथा जिला विकास अधिकारी/अभिहित अधिकारी, बागेश्वर को सदस्य नामित किया गया है।

इस सम्बन्ध में सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त घटना के सम्बन्ध में लिखित/मौखिक साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत करना चाहता है तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से दिनांक–06.12.2018 के सायं 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते है।

(राहुल कुमार गोयल)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।
संख्या–3५१. /पी0ए0–ए0डी0एम0/2018–19 दिनांक–०3 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि:–

1. जिला सूचना अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति को दिनांक–04.12.2018 के दैनिक संस्करणों में निशु:ल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य व्यैक्तिक अधिकारी, को जिलाधिकारी महोदया के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागेश्वर को जनपदीय बेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।
5. तहसीलदार काण्डा/कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति अपने–अपने तहसील के नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करायें।
6. जिला विकास अधिकारी, बागेश्वर।
7. अभिहित अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी बागेश्वर।

(राहुल कुमार गोयल)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बागेश्वर।